उदासीनता क्षमता से अधिक सवारियां ले जा रहे हैं, यातायात विभाग नहीं कर रहा कोई कार्यवाही, नियमों का कर रहे उल्लंघन

यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहे वाहन चालक

अमरपुर नवभारत 27 दिसंबर। जिले में यात्री वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। जिम्मेदारों द्वारा इन पर नकेल नहीं कसने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। यात्री वाहन चालक प्रतिदिन ग्रामीण यात्रियों की जान को संकट में डाल रहे हैं।

जानकारों की माने तो लंबे समय से देखने मिल रहा है कि ऑटो चालक एवं टैक्सी तूफान वाहन चालक यात्रियों की जान को जोखिम में डाल मौत के सफर को तय कर रहे हैं, जिसकी जानकारी आरटीओ विभाग यातायात पुलिस सहित संबंधित क्षेत्रीय जिम्मेदारों को भी है, लेकिन प्रतिदिन क्षेत्र से निकलकर आने वाली इन तस्वीरें पर किसी भी जिम्मेदार द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। इन वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जा रही है।

वाहन मालिकों को पहुंचाया जा रहा मुनाफा

इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं यातायात विभाग के संरक्षण में यह सब चल रहा है और यात्री वाहन मालिकों एवं चालकों को मुनाफा पहुंचाया जा रहा है। दूसरी ओर ग्रामीण यात्रियों को मौत का सफर तय करा रहे इन वाहनों से भोले भाले ग्रामीण इससे बेखबर हैं, जबकि विभागीय स्तर पर अगर नकेल कसी जाए तो इस पर लगाम लगाई जा सकती है और ग्रामीणों की जान माल की सुरक्षा की जा सकती है।

यातायात विभाग को लेने होंगे कड़े निर्णय

विभागीय जानकारों की माने तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर 5000 तक का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों हो सकती है। वाहन चलाते समय लापरवाही बरतने वाले वाहन चालक का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार के निर्णय भी आरटीओ सहित यातायात पुलिस को लेने होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चालक ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकें।

वाहन की छत पर बैठकर करा रहे सफर

बतला दें कि यात्री वाहन में यात्रा करने वाले यात्री अगर लापरवाही पूर्वक वहां की छत पर बैठकर यात्रा करते हैं। ऐसे यात्रियों पर 100 से लेकर 300 रुपये तक का जुर्माना संबंधित विभाग प्रमुख लगा सकता है, साथ ही वाहन चालक पर भी कार्रवाई करते हुए वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। बता दें कि वाहन की छत पर बैठकर यात्रा करने वाले लापरवाह यात्रियों पर भी कार्यवाही सार्थक परिणाम ला सकती है।

घास की झोपड़ी में भविष्य सवार रहे नौनिहाल

> भोडासाज माल ग्राम के पोषक ग्राम नेटी टोला का मामला

शहपुरा नवभारत 27 दिसंबर। मेहदंवानी जनपद पंचायत के अंतर्गत भोड़ा साजमाल नेटी टोला में घास फूस से बनी हुई छप्पर के नीचे विद्यालय का संचालन हो रहा है, जिसमें पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक में 37 बच्चे अध्यनरत है व एक नियमित शिक्षक अपनी सेवाए दे रहा है।

ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान बताया कि पिछले वर्ष अगस्त 2024 को शहपुरा एसडीएम के आदेश से जर्जर भवन होने के कारण भवन को तुड़वा दिया गया था, लेकिन अभी तक शासन द्वारा बच्चों के लिए भवन की व्यवस्था नहीं की गई। नौनिहाल छप्पर के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से भवन की मांग किए हैं, लेकिन अभी तक वहां पर भवन नहीं बन पाया है। ऐसी स्थिति में बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा।

जनसुनवाई में शिकायत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन

ग्रामीणो ने दिनांक 1 जुलाई 2025 को जनसुनवाई में भी शिकायत की, जिसके बाद डीपीसी डिण्डौरी मामला भेज दिया गया, लेकिन कई महीनं बीत जाने के बाद भी भवन निर्माण के लिए कोई पहल जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। इसके अलावा दिनांक 20 अगस्त 2025 को सहायक आयुक्त डिण्डौरी से भी पूरे मामले की शिकायत की गई थी, परन्तु अभी तक सहायक आयुक्त कार्यालय से भी भवन निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई, जिससे विद्यालय में पढ़ रहे नौनिहालों का भविष्य अंधकार में है।

एक नजर में

बड़छड़ स्कूल में सुचारु चल रहा अध्यापन

चिल्हारी उमरिया। जिले के मानपुर जनपद अंतर्गत ग्राम बड़छड़ की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। अचानक स्कूल पहुंची नवभारत की टीम ने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से बातचीत की तो विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि हमारा विद्यालय एक मन्दिर के जैसे संचालित होता है, जो कि समय से खुलता है। सभी पीरियड में बराबर पढ़ाई होती है। कोई भी पीरियड खाली नहीं रहता, इसलिए हमारे विद्यालय का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय के विकास एवं स्वच्छता के लिए सभी शिक्षक हमेशा तत्पर रहते हैं जिससे विद्यालय का नाम रोशन हो रहा है।

बरगांव के विद्यार्थियों ने किया शैक्षणिक भ्रमण

शहपुरा नवभारत 27 दिसंबर। वीर बाल दिवस के पावन अवसर पर नर्मदांचल विद्यापीठ, बरगांव द्वारा विद्यार्थियों के लिए दो दिवसीय शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया। यह भ्रमण 25 एवं 26 दिसंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

25 दिसंबर को विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर ले जाया गया। वहां विद्यार्थियों ने सफारी भ्रमण के दौरान बाघ, शेर, हिरण सहित अनेक वन्य जीवों को नज़दीक से देखा। इस दौरान बच्चों को वन्य जीवन, जैव विविधता एवं पशु संरक्षण के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। सभी विद्यार्थी इस अनुभव से अत्यंत प्रसन्न एवं उत्साहित नजर आए।

मैहर माता रानी के दर्शन कराए

26 दिसंबर को विद्यार्थियों को धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थल मैहर माता रानी के दर्शन कराए गए। इसके साथ ही आल्हा-ऊदल मंदिर के भी दर्शन किए गए। धार्मिक वातावरण में बच्चों ने श्रद्धा भाव से दर्शन किए एवं यात्रा का भरपूर आनंद लिया। इस दो दिवसीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक भ्रमण से विद्यार्थियों के ज्ञान, अनुभव और संस्कारों में वृद्धि हुई।

भाजपा नेता फागू लाल को दी गई श्रद्धांजलि

शहपुरा नवभारत 27 दिसंबर। शहपुरा नगर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता फागू लाल सोनी के निधन पर शनिवार को रेस्ट हाउस शहपुरा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर भाजपा के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत नेता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि फागू लाल सोनी भाजपा के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और सामाजिक सरोकारों के लिए हमेशा जाने जाते थे। उनका निधन न केवल भाजपा संगठन बल्कि पूरे नगर के लिए अपूरणीय क्षति है। सभी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की।

कामायनी एक्सप्रेस से यात्री का ट्राली बैग चोरी

कटनी। मुंबई से बनारस की यात्रा कर रहे एक यात्री का अज्ञात चोरों ने ट्राली बैग चोरी कर लिया है। बैग में लैपटॉप, दस्तावेज और नकद रूपए रखे हुए थे। उत्तरप्रदेश के भदौही निवासी शिवम कनौजिया ने बताया कि वह कामायनी एक्सप्रेस की एस 9 कोच की बर्थ नंबर 31 पर सफर कर रहा था। दमोह के पास अज्ञात बदमाशों ने मौका पाकर उसका ट्रॉली बैग चोरी कर लिया है। चोरी गए ट्रॉली बैग में एक लैपटॉप, कक्षा दसवीं की मूल मार्कशीट, करीब 4 हजार रुपए नकद, कपड़े और अन्य जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। चोरी का पता चलते ही पीड़ित ने सहयात्रियों की मदद से तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शिवम कनौजिया ने बताया कि वह पुणे में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और बीएसएफ, रेलवे ग्रुप-डी की परीक्षा देने के लिए घर जा रहा था।

सरकारी रसूख ने ली दो की बलि, डीएफओ की निजी सैर ने उजाड़े घर

> कार्यक्षेत्र से बाहर सरकारी बोलेरो में पिकनिक मनाना पड़ा भारी, 5 जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे

नवभारत उमरिया 27 दिसंबर। जिले से बड़ी खबर जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और सरकारी संपदा को अपनी जागीर समझ लें, तो अंजाम मौत बनकर सामने आता है। शहडोल दक्षिण की डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं, और इस बार दाग किसी भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि मासूमों के खून का है।

खबर शर्मनाक भी है और डरावनी भी। कल रात जब दुनिया सो रही थी, तब मैडम डीएफओ के 'पारिवारिक सदस्य' सरकारी बोलेरो में सवार होकर बांधवगढ़ के जंगल की सैर का लुत्फ उठाने निकले थे। सवाल यह है कि जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली गाड़ी क्या किसी अधिकारी की पारिवारिक पिकनिक के लिए है? हैरानी की बात तो यह है कि उस दिन क्रिसमस की छुट्टी थी और डीएफओ शहडोल दक्षिण का कार्यक्षेत्र कहीं से भी घुनघुटी या उमरिया जिले में नहीं आता।

सरकारी गाड़ी दूसरे जिले के जंगल में क्या कर रही थी?

सवाल यह उठता है कि जब मैडम का क्षेत्र शहडोल दक्षिण है, तो उनकी सरकारी गाड़ी दूसरे जिले के जंगल में क्या कर रही थी? अगर कोई विभागीय काम भी था, तो वह अपने क्षेत्र में होना चाहिए था। सरकारी गाड़ी का इस तरह दूसरे क्षेत्र में पारिवारिक पिकनिक के तौर पर निजी उपयोग करना, रसूख के खुले दुरुपयोग का जीता जागता प्रमाण है।

मदारी ढाबा के पास दुर्घटना

घुनघुटी के पास मदारी ढाबा के समीप खड़े एक ट्रक में यह सरकारी बोलेरो इतनी तेजी से घुसी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे ने दो परिवारों के चिराग बुझा दिए। मृतक चालक इजहार खान और एक अन्य व्यक्ति की अकाल मृत्यु ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हादसे में घायल बच्चियां भी घायल हो गई, जिनका इलाज चल रहा है।

सिस्टम की बेशर्मी पर कड़ा प्रहार

अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति के लिए एफआईआर दर्ज कर फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देगा? आखिर सरकारी संसाधनों को अपनी निजी जागीर समझने वाली डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे पर इस लापरवाही और नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए ठोस कार्रवाई कब होगी? जब रसूख के नशे में चूर अधिकारी सरकारी गाड़ियों को अपनी 'प्राइवेट पिकनिक टैक्सी' बनाएंगे, तो बेगुनाह लोगों का खून इसी तरह सड़कों पर बहता रहेगा। यह महज एक सड़क हादसा नहीं है, बल्कि उस सरकारी घमंड का नतीजा है जो कानून को अपनी जेब में रखकर चलता है।

असली अपराधी कौन

सवाल यह उठता है कि अगर रात में शासकीय वाहन का इस्तेमाल सैर-सपाटे के लिए नहीं होता, तो शायद बेगुनाहों की जानें बच जातीं, लेकिन जब कुर्सी की गर्मी सिर चढ़कर बोलती है, तो ऐसी ही घटनाएं कारित होती हैं। सत्ता के नशे में चूर होकर किए गए इस कृत्य को महज एक 'दुर्घटना' कहना मृतकों के साथ अन्याय होगा; इसे सीधे तौर पर 'हत्या' की श्रेणी में रखना चाहिए। पुलिस भले ही जांच का ढोंग करे, लेकिन असल गुनहगार वह रसूख है, जिसने नियम-कायदों को आधी रात को बांधवगढ़ या उमरिया की सड़कों पर कुचल दिया।

डॉ. विकास बने एबीवीपी के जिला प्रमुख

> प्रांत अधिवेशन में छात्र हितों से जुड़े विषयों पर की गई चर्चा

डिंडोरी, नवभारत 27 दिसंबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का 58वां प्रांत अधिवेशन छिंदवाड़ा में संपन्न हुआ। अधिवेशन में प्रदेशभर से आए छात्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संगठन की भावी दिशा और छात्र हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार, एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रघुराज किशोर तिवारी, महाकोशल प्रांत अध्यक्ष डॉ. सुनील पांडे तथा प्रांत मंत्री सुब्रत बाझल सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और गणमान्य अतिथि मंचासीन रहे। अतिथियों ने छात्र युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

गोकुल ठाकुर जिला संयोजक नियुक्त-अधिवेशन के दौरान डिंडोरी जिले की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें डॉ. विकास जैन को एबीवीपी डिंडोरी का जिला प्रमुख नियुक्त किया गया, जबकि गोकुल ठाकुर को जिला संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही तरुण राठौर, दीपेंद्र जोगी, लक्ष्मण परमार और प्रीति मरकाम को प्रांत कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। नई कार्यकारिणी की घोषणा पर जिले के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा।

अवैध शराब बिक्री पर उठाई सख्ती की मांग

> अधिवक्ता अभिनव कटारे ने मुख्यमंत्री व कलेक्टर को लिखा पत्र

डिंडोरी,नवभारत 27 दिसंबर। जिले के घोषित शुष्क (ड्राई) क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अधिवक्ता अभिनव कटारे, सिविल कोर्ट डिंडोरी ने जिला दंडाधिकारी डिंडोरी तथा मुख्यमंत्री को एक विस्तृत सुझावात्मक पत्र प्रेषित किया है।

पत्र में अधिवक्ता कटारे ने स्पष्ट किया है कि ड्राई ज़ोन घोषित होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति एक बोतल शराब का विक्रय या अवैध परिवहन करता हुआ भी पाया जाता है, तो उसे मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अजमानती अपराध घोषित किया जाना चाहिए,

जिससे कानून का वास्तविक भय स्थापित हो सके। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान में धारा 34(1) जमानती होने के कारण आरोपी आसानी से रिहा हो जाते हैं और पुनः अवैध शराब कारोबार में संलिप्त हो जाते हैं, जिससे ड्राई ज़ोन नीति का उद्देश्य विफल हो रहा है।

कानून की कमजोरी का लाभ उठाते हैं अपराधी

पत्र में यह भी कहा गया है कि अपराधी कानून की इसी कमजोरी का लाभ उठाकर शराब की छोटी-छोटी खेपों में ढुलाई कर रहे हैं, जिससे न तो अवैध तस्करी रुक पा रही है और न ही सामाजिक नियंत्रण स्थापित हो पा रहा है। अधिवक्ता कटारे ने सुझाव दिया है कि ड्राई ज़ोन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान बनाकर धारा 34(1) को पूर्णतः अजमानती घोषित किया जाए, ताकि अवैध शराब के विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

उत्थान संगठन ने बताए ग्राहकों के अधिकार

> उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला आयोजित

नवभारत उमरिया 27 दिसंबर। जिले में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालय के सभागार में एक दिवसीय उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन (उमरिया) ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने का संकल्प लिया।

संगठन के जिला अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने अपनी पूरी टीम के साथ कार्यशाला में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दैनिक जीवन में उपभोक्ता कई बार धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की ठगी हुई है या सेवाओं में कोई कमी पाई गई है, तो चुप न बैठें। आप संगठन की मदद ले सकते हैं या सीधे उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज करा सकते हैं। कार्यशाला में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य रामेश्वर प्रसाद एवं पंकज मिश्रा ने उपभोक्ताओं की कानूनी मदद के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए। कार्यक्रम में आयोग के सचिव देवकी नंदन बघेल भी उपस्थित रहे।

समस्त ग्राम पंचायतों में आयोजित हुई विशेष ग्राम सभा

डिंडौरी, नवभारत। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विजन विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन वीबी जी राम जी (विकसित भारत जी राम जी) अधिनियम 2025 लागू किया गया है। जिसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं प्रदत कानूनी अधिकारों को लीकर व्यापक जागरुकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्रामसभा का आयोजन 26 दिसम्बर को समस्त ग्राम पंचायतों में किया गया। वीबी-जी राम जी अधिनियम 25 में जॉबकार्ड धारी श्रमिकों को

वर्ष में 125 दिवस का रोजगार दिया जायेगा। योजनाओं के अभिसरण से ग्राम पंचायतों के विकास की कार्ययोजना तैयार करते हुये अधोसंरचना निर्मित होगी।

सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी ने समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को विशेष ग्राम सभा का आयोजन शासन के निर्देशानुसार समस्त ग्राम पंचायत के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों के साथ समस्त मैदानी शासकीय और पंचायत सेवकों को विशेष ग्राम सभा के आयोजन में संलगन किया गया। विशेष ग्राम सभाओं में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों, प्रबुद्धजनों, ग्रामीणों, श्रमिकों, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति परिवारों एवं कमजोर वर्गों की सक्रिय भागीदारी रही।

विशेष ग्राम सभाओं के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये। इस संबंध में जागरुकता एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये ग्राम पंचायत रुसा माल में आयोजित ग्राम सभा और जन चौपाल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्यांशु चौधरी, रुद्रेश परस्ते, अंजु जितेन्द्र ब्यौहार, ज्योति प्रकाश धुर्वे, पंकज जैन, प्रमोद ओझा सहित ग्राम पंचायत रुसामाल के सरपंच, पंच, गणमान्य नागरिक एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।

आबकारी विभाग ने जब्त की अवैध शराब

डिंडोरी,शहपुरा, नवभारत 27 दिसंबर। जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु 26 दिसंबर को आबकारी विभाग वृत्त शहपुरा में अवैध शराब रखने व बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कार्यवाही की गई।

इस दौरान आरोपी अजय से 5 पाव गोवा रम विदेशी मदिरा और 23 पाव देशी मदिरा मसाला, दीपक पिता राजेंद्र झारिया, ग्राम जिमरा से 7 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब और 30 किलो ग्राम महुआ लाहन, चन्द्र मुखी बाई से 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब और 15 किलो ग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। इसकी कुल मात्रा 13 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब और 5 पाव विदेशी मदिरा, 23 देशी मदिरा प्लेन और 45 किलो ग्राम महुआ लाहन बरामद शराब की अनुमानित कुल कीमत 10040 रुपए है। उक्त सभी प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद, जिला- उमरिया म.प्र.
Email Id-cmonorojabad@mpurban.gov.in

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्रं.	टेण्डर क्रमांक एवं जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2025_UAD_470209_1 22.12.2025	SUPPLY OF DOOR TO DOOR WASTE VEHICLE With Hopper and tipper fabrication (ON CHASSIS BS-VI COMPLETE ACCESSORIESE WITH RTO REGISTRATION AND INSURANCE 2 NOS) As Per Specification in NIT	01 Months 19,50,000.00	15,000.00 2000.00	23-Jan-2026 05:30 PM

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन वेबसाईड https://mptenders.gov.in पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में नही किया जावेगा। निविदा से संबंधित जानकारी हेतु कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद जिला उमरिया (म.प्र.)